बिहार सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

अधिसूचना

सं०सं०– 01/स्था०(का०प०दा०)-05/2018 - 1416 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक 25/3/2020

श्रीमती कुमारी हिमानी (बि०न०से०), कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, सासाराम के विरूद्ध जिला पदाधिकारी, रोहतास, सासाराम द्वारा वाहनों के क्रय एवं आपूर्ति में अनियमितता बरतने तथा जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी को गलत एवं भ्रामक प्रतिवेदन समर्पित करने का आरोप प्रतिवेदित किया गया है और इनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की अनुशंसा की गई है।

2. जिला पदाधिकारी, रोहतास, सासाराम की अनुशंसा के आलोक में सम्यक विचारोपरांत बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–9(1) के तहत श्रीमती कुमारी हिमानी (बि०न०से०), कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, सासाराम को अगले आदेश तक के लिए आदेश निर्गत की तिथि से निलंबित किया जाता है।

3. निलंबन अवधि में श्रीमती हिमानी को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–10 के तहत अनुमान्य दर से जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

4. निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय प्रमंडलीय आयुक्त, पटना का कार्यालय निर्धारित किया जाता है।

5. श्रीमती हिमानी के विरूद्ध आरोप पत्र एवं विभागीय कार्यवाही का संकल्प अलग से निर्गत किया जाएगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से।

ह०/–

(अभय राज)

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक– 01/स्था०(का०प०दा०)-05/2018 - 1416 न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक 25/3/2020

प्रतिलिपि :– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– महालेखाकर, बिहार, पटना/वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/प्रमंडलीय आयुक्त, पटना प्रमंडल/जिला पदाधिकारी, रोहतास, सासाराम/श्रीमती कुमारी हिमानी (बि०न०से०), कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, सासाराम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–माननीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के आप्त सचिव/सभी विभागीय पदाधिकारी/श्री अमितेश कुमार, आई०टी० प्रबंधक, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/3/2020

सरकार के विशेष सचिव